कृषि निदेशालय, बिहार
(सूचना शाखा)
मीठापुर, पटना–800001

अनुपयोगी सामग्री निलामी संबंधी आमंत्रण सूचना

अनुपयोगी सामग्री निलामी में शर्त के अनुसार जो सामग्री जहाँ जिस अवस्था में है, के आधार पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार बोली हेतु आवेदन आमंत्रित की जाती है:–

क्रमांक	अनुपयोगी सामग्री भंडारण स्थल	सुरक्षित जमा राशि (सिर्फ डिमान्ड ड्रफ्ट द्वारा)	निलामी का स्थान	न्यूनतम बोली की राशि	बोली की तिथि एवं समय
1	2	3	4	5	6
1	कार्यालय उप कृषि निदेशक (सूचना), मीठापुर, बिहार, पटना	20,000.00	संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान), रसायन भवन, मीठापुर, पटना, बिहार	73793.00	दिनांक 12.01.2015 को अपराह्न 03:00 बजे

निलामी प्रपत्र को तकनीकी दस्तावेजों के साथ दिनांक 12.01.2015 दोपहर 12:00 बजे तक मुहरबंद लिफाफा औडीभिजुअल एड्स पदाधिकारी, कार्यालय उप कृषि निदेशक (सूचना), मीठापुर, पटना के समक्ष जमा करना होगा। सुरक्षित जमा राशि बैंक ड्राफ्ट आवेदक उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना के नाम से निर्गत करायेंगे।

बोली में वही आवेदनकर्त्ता भाग ले सकेंगे जिनका तकनीकी दस्तावेज शर्त्तानुसार सही पाया जाएगा। इससे संबंधित सूची दिनांक 12.01.2015 को अपराह्न 03:00 बजे मुख्यालय, पटना के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जाएगी।

अनुपयोगी सामग्रियों की सूची विस्तृत ब्यौरा, नियम एवं शर्त्त संबंधी कागजात तथा आवेदन पत्र मीठापुर प्रक्षेत्र, पटना स्थित कार्यालय (मुख्यालय) से प्राप्त किया जा सकता है।

संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान),
बिहार, पटना

ज्ञापांक 899 पटना, दिनांक 19.12 2014.

प्रतिलिपि : संयुक्त कृषि निदेशक, उपयोगी अनुसंधान, अध्यक्ष/संयुक्त कृषि निदेशक, अभियंत्रण, सदस्य/उप कृषि निदेशक(सूचना), सदस्य/उप कृषि निदेशक (गुण नियंत्रण), सदस्य/ उप कृषि निदेशक, केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, सदस्य/ उप कृषि निदेशक, कम्पोस्ट, सदस्य/ उप कृषि निदेशक, बीज विश्लेषण, सदस्य को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक (सूचना)–सह–नोडल पदाधिकारी, आई0टी0 से अनुरोध है कि उपरोक्त निलामी की सूचना विभागीय वेबसाईट पर भी डालने की कृपा की जाए।

नोट :– इस सूचना को मीठापुर परिक्षेत्र स्थित सभी कार्यालयों के सूचना पट पर चिपकाया जाय।

19-12-14

(अशोक प्रसाद)
उप कृषि निदेशक(सूचना)
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
कृषि विभाग

कृषि निदेशालय, बिहार
(सूचना शाखा)

ई–मेल : infoagri.co.bihar@gmail.com
ashokddinfo@gmail.com
infoagri-bih@nic.in

वेबसाईट : www.krishi.bih.nic.in
दूरभाष सं0 : 0612-2353409
फैक्स सं0 : 0612-2215224

अनुपयोगी सामग्री निलामी संबंधी आमंत्रण सूचना

खुली डाक द्वारा निलामी संबंधी नियम एवं शर्त्त

(1) अनुपयोगी सामग्रियों की निलामी **"जो सामग्री जहां जिस अवस्था में है"** के आधार पर की जाएगी।

(2) निलामी में भाग लेने वाले को कुल 20,000 राशि उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना में जमा करना होगा।

(3) अधिकतम बोली लगाने वाले को छोड़कर शेष बोलीकर्त्ता को सुरक्षित राशि का बैंक ड्राफ्ट बोली समाप्त होते ही लौटा दी जाएगी।

(4) बोली समाप्ति के उपरान्त अधिकतम बोलीकर्त्ता से कुल मूल्य का 25% राशि (सुरक्षित राशि सहित) जमा करा ली जाएगी।

(5) अनुपयोगी सामग्रियों को संबंधित कार्यालयों में कार्य दिवस को जाकर देखा जा सकता है। निविदा कागजात के साथ संलग्न सूची में अंकित सभी सामग्रियों की ही निलामी की जाएगी। अतः बोलीकर्त्ता इन्हें अच्छी तरह जाँच परख लेंगे।

(6) सामग्रियों की विस्तृत विवरणी सूची आवेदन पत्र (विवरणी सहित) एवं नियम शर्त्त संबंधी कागजात सूचना कार्यालय, मीठापुर, पटना से प्राप्त किया जा सकता है।

(7)

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम एवं पता जहां अनुपयोगी सामग्री उपलब्ध है	बोली लगाने का स्थान	बोली लगाने की तिथि एवं समय
1	उप कृषि निदेशक (सूचना), मीठापुर परिक्षेत्र बिहार, पटना।	संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान), रसायन भवन, मीठापुर, पटना, बिहार	दिनांक 12.01.2015 को अपराह्न 03:00 बजे

(8) सफल बोलीकर्त्ता को अनुपयोगी सामग्री उठाव का आदेश देने के पश्चात् एक सप्ताह के अन्दर उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कर उठाव कर लेना होगा अन्यथा विलम्ब से उठाव किये गये भात्रा के मूल्य पर 2 प्रतिशत प्रतिदिन के दर से दण्ड भुगतेय होगा तथा सामग्री नहीं उठाने पर सुरक्षित राशि जब्त कर ली जाएगी एवं उसे द्वितीय बोलीकर्त्ता को उठाव करने का अवसर, उपर वर्णित शर्त्तो के साथ दिया जा सकता है।

(9) बोलीकर्त्ता को आवेदन के साथ अपना स्वहस्ताक्षरित पैन कार्ड तथा बैंक पास बुक (विगत छःमाह का खाता संबंधी अद्यतन विवरणी) की छायाप्रति समर्पित करना होगा। साथ ही निलामी के समय इन कागजातों की मूलप्रति भी अपने साथ रखना आवश्यक होगा।

(10) निविदा में भाग लेने को खुली डाक में बोली लगाने का अवसर दिया जाएगा एवं अधिकतम मूल्य लगाने वाले अनुपयोगी सामग्री क्रय करने के योग्य होंगे।

(11) सामग्री उठाव में आने वाले सभी व्यय बोलीकर्त्ता को ही वहन करना होगा।

(12) उक्त निविदा को किसी भी समय, किसी भी दशा में बिना कारण बताये आंशिक या पूर्णरूपेण निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए अद्योहस्ताक्षरी आर्विट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

संयुक्त कृषि निदेशक (उपयोगी अनुसंधान),
बिहार, पटना